(b) ~~3-3-15~~
3-3-15

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 3, 2015/फाल्गुन 12, 1936
No. 123] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 3, 2015/PHALGUNA 12, 1936

IndiaCode

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2015

सा.का.नि. 168(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, जिसे मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) के अधीन यथापेक्षित, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 830(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उनसे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से, उस तारीख से, जिसको उक्त प्रारूप नियमों वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां, तारीख 21 नवम्बर, 2014 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है :

अतः अब, केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 4 में, "केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार" शब्दों से आरंभ होकर "की समतुल्य परिधि का हो, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित हों" शब्दों पर समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, "स्वतः प्रमाणित हों" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. आरटी–11028/15/2014–एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पण:— मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. सं. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 52(अ), तारीख 23 जनवरी, 2015 द्वारा किया गया ।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2015

G.S.R. 168(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R 830(E), dated the 21st November, 2014, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections or suggestions from all person likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 21st November, 2014;

And, whereas, no objections and suggestions have been received from the public on the said draft rules for consideration by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 27 with Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 4, for the portion beginning with the words "attested by a Gazetted Officer of the Central Government" and ending with the words "Municipal Corporation Councilor or Panchayat President", the words "self attested" shall be substituted.

[F. No. RT-11028/15/2014-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

**Note:** -The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R. 52(E) dated the 23rd January, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064